डीएनए प्रौद्योगिकी (उपयोग और आवेदन) विनियमन विधेयक, 2018

स्रोत– 'द वायर' || '28 जुलाई, 2018'

IAS PCS

GS WORLD

डीएनए प्रौद्योगिकी विनियमन विधेयक, 2018

संदर्भ

04 जुलाई, 2018 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने डीएनए प्रौद्योगिकी (उपयोग एवं अनुप्रयोग) विनियमन विधेयक-2018 को मंजूरी दे दी।

क्या है?

फोरेन्सिक डीएनए प्रोफाइलिंग का ऐसे अपराधो के समाधान में स्पष्ट महत्व है जिनमें मानव शरीर (जैसे हत्या, दुष्कर्म, मानव तस्करी या गंभीर रूप से घायल) को प्रभावित करने वाले एवं संपत्ति (चोरी, सेंधमारी एवं डकैती सहित) की हानि से संबंधित मामले से जुड़े अपराध का समाधान किया जाता है।

विधेयक की मुख्य विशेषताएं

इस विधेयक के अनुसार, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय डीएनए डेटा बैंकों को पीड़ितों की पहचान, संदिग्ध व्यक्ति की पहचान, आश्रितों, गायब व्यक्तियों और अज्ञात मानव अवशेषों के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस बनाए रखने के लिए स्थापित किया जाएगा।

डीएनए प्रोफाइल जानकारी लीक करने वाले ऐसे लोग या संस्थाएं जो इसके हकदार नहीं है, उन्हें तीन साल तक की जेल और 1 लाख रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा।

डीएनए प्रोफाइल, डीएनए नमूने और अभिलेख सहित सभी डीएनए डेटा का उपयोग केवल व्यक्ति की पहचान के लिए किया जाएगा, न कि 'किसी अन्य उद्देश्य' के लिए।

बड़ी आपदाओं के शिकार हुए व्यक्तियों की पहचान करने में भी सहायता प्रदान करेंगे।

एक नजर में...

लाभ

2016 के राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार, देश में ऐसे अपराधों की कुल संख्या प्रति वर्ष तीन लाख से अधिक है।

इनमें से केवल बहुत छोटे हिस्से का ही वर्तमान में डीएनए परीक्षण किया जाता है।

इससे अपराधों के ऐसे वर्गों में इस प्रौद्योगिकी के विस्तारित उपयोग से न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आएगी।

इससे सजा दिलाने की दर बढ़ेगी, जो वर्तमान में केवल 30 प्रतिशत (2016 के एनसीआरबी आंकड़े) है।

हानि

डीएनए की जानकारी और उन्हें फोरेंसिक प्रयोगशालाओं द्वारा संग्रहीत किये जाने के तरीके से गोपनीयता के उल्लंघन की आशंका होती है।

विधेयक में कई अनुसूची ऐसे जोड़े गए हैं जो डाटा के दुरुपयोग को रोकने में सक्षम हैं।

बायोटेक्नोलॉजी विभाग के अनुसार, डाटाबेस केवल आपराधिक जाँच से संबंधित जानकारी संग्रहीत करेंगे और संदिग्धों के डीएनए विवरण हटा दिये जाएंगे।

इसमें एक डीएनए प्रोफाइलिंग बोर्ड बनाने का प्रावधान है जो अंतिम प्राधिकरण होगा और राज्य स्तरीय डीएनए डाटाबेस के निर्माण को अधिकृत करेगा तथा डीएनए-प्रौद्योगिकियों के संग्रहण और विश्लेषण के तरीकों को स्वीकृति प्रदान करेगा।

GS WORLD